

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़दुर्गाशंकर वगैराह बनाम सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली वगैराहकार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 3 (जी 5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956किस्म मुकदमा अपील (एनएचएआई) नं० **049** सन् **2015**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। अधिवक्ता विपक्षी हाजिर। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। वकील अपीलार्थी की आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अपीलार्थी की आवाज लगवाई गई। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। वकील अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी स्वयं के हाजिर नहीं आने से अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। तहत का रिकार्ड नियमानुसार मय अहकाक की प्रति के भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/d- (पीयूष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 25.07.2023</p> 	